राजस्व वाद संख्याः–341ए/2013
भानीराम बनाम रणधीर वगै0
निर्णय दिनांकः– 18/07/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी ाा(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 341ए/2013

1. भानीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान (दौराने दावा मृतक)

1/1 अमर सिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/2 ताराचन्द पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/3 जयलाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/4 जयवीर पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/5 राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/6 दयानन्द पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

1/7 चन्द्रो पुत्री भानीराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल निवासी झारोड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

– वादीगण

बनाम

1. रणधीर पुत्र जलेसिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू
2. समाकौर बेवा जलेसिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू (दौराने दावा फौत)

2/1 रणधीर पुत्र जलेसिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

2/2 ओमपति पुत्री समाकौर जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

03. गुगनराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान (दौराने दावा फौत)

3/1 धर्मवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

04. हीरा सिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान (दौराने दावा फौत)

4/1 विनोद कुमार पुत्र हीरा सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी

4/2 रामप्यारी पुत्री हीरा सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

4/3 कमला पुत्री हीरा सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—341ए/2013
मानीराम बनाम रणधीर वगै0
निर्णय दिनांकः— 18/07/2025

4/4 शकुन्तला पुत्री हीरा सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला

4/5 सुनिता पुत्री हीरा सिंह जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

5. नानडराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

6. सुभराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

7. सतवीर पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

8. राजपाल पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

9. सुरेश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

10. रामबाई बेवा जुगलाल जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू

11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पिलानी तहसील पिलानी

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः— वादीगण अधिवक्ता

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ निवेदन किया कि ग्राम हमिनपुर तहसील चिड़ावा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.01 है0 हैक्टर, गैर मुमकिन कुआं, खसरा नम्बर 336 रकबा 6.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 337 रक्बा 6.48 हैक्टर खसरा नम्बर 378 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 383 रकबा 2.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 6.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.03 हैक्टर कुल कित्ता 9 कुल रक्बा 28.91 हैक्टर का पहले खातेदार काश्तकार पक्षकारान दावा का पूर्वज हंसराम था, हंसराम का स्वर्गवास आज से करीब 65 वर्ष पहले हो चुका है। हंसराम के बाद उक्त भुमि के खातेदार काश्तकार हसंराम के पुत्र गोपाल व मामचन्द हुये जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है इस भूमि मे उक्त गोपाल का 1/2 हिस्सा था मामचन्द का 1/2 हिस्सा था, गोपाल का 1/2 हिस्से की खातेदारी गोपाल के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र भानीराम को प्राप्त हुई व मामचन्द के स्वर्गवास के बाद इस भूमि के 1/2 हिस्से के काश्तकार मामचन्द के पुत्र जुगलाल, गुगन, जले सिंह, हीरा सिंह, सुभराम व नानड़राम हुए । उक्त जुगलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी नं. 7 लगायत 10 है तथा उक्त जले सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी 01 व 2 है।

यह कि ग्राम हमीनपुर में ही स्थित भूमि के खसरा नम्बर 330 रकबा 3.35 हैक्टर व खसरा नम्बर 503 रकबा 2.27 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 हैक्टर भूमि भी वादी के पिता गोपाल व मामचन्द को अपने पिता हंसराम से प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड सम्वत 2012 से हाल सैटलमेन्ट तक वादी के पिता गोपाल राम के अकेले के नाम दर्ज होता रहा । परन्तु हाल सैटलमेन्ट मे प्रतिवादी में 01 लगायत 10 ने सैटलमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

अधिकारियो से साज करके उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम करवा ली जबकि सैटलमेन्ट अधिकारियो को पूर्व के रिकोर्ड को बदलने का कोई अधिकार नहीं था न ही उन्हे किसी को खातेदार घोषित करने का अधिकार है व न ही उन्हे किसी की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार है, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना विसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिवादी स 01 लगायत 10 के नाम से दर्ज किया है जो राजस्व रिकोर्ड वादी के अधिकारों पर शून्य व बेअसर है वादी उक्त गलत राजस्व रिकोर्ड से पाबन्द नहीं है और न ही उक्त गलत राजस्व रिकोर्ड ते प्रतिवादीगण 01 लगायत 10 को कोई अधिकार प्राप्त हुये है।

यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का वादी का 1/2 हिस्से का खाता बाई मिटस व बाई बाउण्डस अलग विथा जाना न्यायोचित है तथा वाद पत्र की मद तख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 330 व 503 के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस भूमि का भी बाईमिटस व बाई बाउण्डस विभाजन किया जाना न्यायोचित है ।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 330 व 503 के राजस्व रिकोर्ड में हाल सैटलमेन्ट से पूर्व अकेले वादी के पिता गोपाल राम का नाम दर्ज था परन्तु वास्तव में उस भूमि में गोपाल व उसके भाई मामचन्द का 1/2–1/2 हिस्सा था इसलिये वादी उस भूमि में 1/2 हिस्सा ही क्लेम कर रहा है।

भूमि खेत खसरा नम्बर 330 रकबा 3.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.27 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 हेक्टर स्थित ग्राम हमीनपुर के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाना फरभाया जाये ।

यह कि भूमि खेत खसरा नम्बर 330 रकबा 3.35 हैक्टर व खसरा नम्बर 503 रक्बा 2. 27 हैक्टर, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रक्बा 6.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 337 रक्बा 4.48 हैक्टर खसरा नम्बर 378 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 383 रकबा 2.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 6.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.03 हैक्टर स्थित ग्राम हमीनपुर का वांदी व प्रतिवादीगण 01 लगायत 10 के मध्य बाई मिटस व बाई बाउण्डस विभाजन किया जाकर इस भूमि के 1/2 हिस्से का खाता वादी के नाम से अलग ते दर्ज किया जाना परमाया जाये व लगान भी अलग अलग कायम किया जाना परमाया जाये ।

वाद पत्र दिनांक 26.10.2006 को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 16.11.2006 नियत की गयी। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। वादी द्वारा शहादतवादी पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी गण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी एवं पत्रावली पर बहस सुनी गयी । बहस एवं पत्रावली का अवलोकन बाद उकत प्रार्थना पत्र खारीज कर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की गयी । बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिकी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—341ए / 2013
भानीराम बनाम रणधीर वगै0
निर्णय दिनांकः—18/07/2025....

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि भूमि खेत खसरा नम्बर 330 रकबा 3.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.27 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 हेक्टर स्थित ग्राम हमीनपुर के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—341ए / 2013
भानीराम बनाम रणधीर वगै0
निर्णय दिनांकः— 18/07/2025..

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 341ए / 2013

भानीराम बनाम रणधीर वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 18/07/2025............को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि—

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि भूमि खेत खसरा नम्बर 330 रकबा 3.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 2.27 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 हेक्टर स्थित ग्राम हमीनपुर के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 18/07/2025....... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ